[न्]यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

[मि]सल नं. 2/138/2022 तारीख रजू..........................

विष्णु बनाम मुरारीसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 74/501, 258, 245, 82, 79, 80, 87, 242, 74, 372, 373, 418, 71, वाके ग्राम घीवडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मुरारी पुत्र मुंशी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 24.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24.6.22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित स्थगन आदेश दिनांक.......................... की पालना में पत्रा ..... ए.सी.टी. दिनांक 12/8/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील में
30.6.2022	पत्रावली आज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी के प्र०पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने प्र०पत्र यथावत को इसी स्टेज पर स्थापित करने का निवेदन किया। अतः प्र०पत्र यथावत वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्टेज पर स्थापित किया जाता है पत्रावली कौसल हुक्म होकर नम्बर लेकर के बाद मूल वाद के साथ शामिल रहे हुक्म। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	प्रतिलिपि श्री रविन्द्र सिंह वकील प्रार्थी को दी जाकर विष्णु सिंह Del. by 30.06.22